पत्रांक–....1815..... / गो0,
समाहरणालय पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।
(जिला गोपनीय शाखा)

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

सेवा में,

सभी अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण।
सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण।
सभी थानाध्यक्ष, पूर्वी चम्पारण।

मोतिहारी, दिनांक–....01.... वीं अक्टूबर, 2013

विषय :– आगामी दूर्गापूजा–2013 के अवसर पर पूजा पंडालों को अनुज्ञप्ति निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में दिनांक–30.09.2013 को आयोजित आगामी दूर्गापूजा/बकरीद–2013 के संदर्भ में समाहरणालय स्थित अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में विधि–व्यवस्था संबंधी बैठक में हुये विमर्श का स्मरण करें। उक्त बैठक में निदेशित किया गया था कि वैसे सभी पूजा पंडाल, जो गैर लाईसेंसी हैं, को नियमानुसार मूर्ति स्थापना के स्थल, विसर्जन का मार्ग, विसर्जन का स्थल, जुलूस का प्रकार एवं विसर्जन हेतु तिथि एवं समय सहित अनुज्ञप्ति दी जानी है।

उक्त के संबंध में गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक–9028 दिनांक–08.10.2012 की छाया प्रति संलग्न है, जिसके अनुसार बिहार पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा–66 एवं बिहार पुलिस हस्तक 1978 के नियम–23 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत क्षेत्रीय स्तर पर नये धार्मिक जुलूसों की स्वीकृति दी जानी है एवं तत्संबंधी अनुज्ञप्ति निर्गत किया जाना है। इसके अतिरिक्त धार्मिक त्योहारों/पर्वों में विधि–व्यवस्था बनाये रखने हेतु गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना का पत्र ज्ञापांक–9027 दिनांक–08.10.2012 एवं 7616 दिनांक–21.08.2013 की छाया प्रतियाँ एवं अनुज्ञप्ति निर्गत करने से पूर्व आवश्यक जाँच हेतु चेकलिस्ट भी संलग्न है।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में अनुरोध है कि आगामी दूर्गापूजा/अन्य त्योहारों के अवसर पर गैर लाईसेंसी पूजा आयोजकों से थानाध्यक्ष ससमय विहित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त कर अपनी अनुशंसा के साथ आवेदन संबंधित अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को भेजेगें, जो मूर्ति स्थापना स्थल से लेकर विसर्जन स्थल तक जुलूस का मार्ग, प्रकार, तिथि, समय इत्यादि का निर्धारण करते हुए अपनी

अनुशंसा सहित आवेदन अनुज्ञप्ति निर्गत किये जाने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी को भेजेगें। इस प्रकार नयी अनुज्ञप्तियों के मामले में संबंधित क्षेत्र के अनुमंडल पदाधिकारी अन्तिम रूप से पूजा पंडालों के मामले में अनुज्ञप्ति निर्गत करेगें एवं तत्संबंधी एक पंजी का संधारण भी अपने कार्यालय में करायेगें। पूर्व से निर्गत अनुज्ञप्तियों के नवीकरण का कार्य पूर्ववत् संबंधित क्षेत्र के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के द्वारा किया जायेगा।

अनुज्ञप्ति निर्गत किये जाने/नवीकरण के मामले में संबंधित पूजा समितियों/आयोजकों को इस हेतु प्रोत्साहित किया जाए एवं सरल प्रक्रिया से उन्हें अनुज्ञप्ति सुलभ कराते हुये सुनिश्चित किया जाए कि आपके क्षेत्र में कोई भी गैर लाईसेंसी मूर्ति स्थापित नहीं हो एवं बावजुद इसके यदि किसी पूजा समिति/आयोजक द्वारा जान–बुझकर अनुज्ञप्ति लेने में असहयोग किया जाता है तो उनके विरूद्ध विधि–सम्मत कार्रवाई की जाय।

अनुलग्नक–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह0/-

जिला पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

पत्रांक- सी० / सी०आई०पील-3901 / 2012......... ..../

बिहार सरकार

गृह विभाग

प्रेषक,

आमिर सुबहानी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी।
सभी वरीय पुलिस अधीक्षक।
सभी पुलिस अधीक्षक।

पटना, दिनांक-- अगस्त, 2013

विषय-- धार्मिक जुलूसों में आपत्तिजनक झाकियों पर रोक के संबंध में।

महाशय,

ऐसे कई दृष्टान्त सामने आए हैं, जिनमें देखा गया है कि धार्मिक जुलूसों में झाकियाँ भी निकाली जाती है। कई बार कुछ ऐसी झाकियाँ भी निकाली जाती है, जिससे अन्य धर्म/समुदाय/जाति अथवा वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है, जिसके फलस्वरूप सामाजिक वातावरण दूषित एवं तनावग्रस्त हो जाता है तथा साम्प्रदायिक सद्भावनाओं पर प्रतिकूल असर पड़ता है।

अतः निदेशित किया जाता है कि धार्मिक जुलूसों/पंडालों के लिए दिए जाने वाली अनुज्ञप्ति में एक शर्त निश्चित रूप से यह रहे कि ऐसी कोई झाँकी अथवा दृश्य (व्यंग्य चित्र सहित) जुलूसों/पंडालों में नहीं होगा जिससे कि किसी सम्प्रदाय, जाति, वर्ग अथवा समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचे अथवा किसी प्रकार की वैमनस्यता उत्पन्न होने की संभावना हो तथा इस शर्त के उल्लंघन की अवस्था में उन व्यक्तियों, जिनके नाम से अनुज्ञप्ति जारी किया गया है, के विरुद्ध विधि सम्मत कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसका सख्ती से अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन,

ह० / --

(आमिर सुबहानी)

प्रधान सचिव।

पटना, दिनांक अगस्त, 2013

ज्ञापांक --

प्रतिलिपि-- सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, सभी प्रक्षेत्रिय पुलिस महानिरीक्षक, सभी क्षेत्रिय पुलिस उप महानिरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / --

प्रधान सचिव।

पटना, दिनांक अगस्त, 2013

ज्ञापांक

प्रतिलिपि-- पुलिस महानिदेशक, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / --

प्रधान सचिव।

पटना, दिनांक 9 | अगस्त, 2013

ज्ञापांक -- 7616

प्रतिलिपि-- मुख्य सचिव, बिहार, पटना / मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव।

पत्र सं०- सी/सी०आई०मिस०-4014/12......................

(160)

बिहार सरकार

गृह (विशेष) विभाग

प्रेषक,

आमिर सुबहानी
सरकार के प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी।
सभी वरीय पुलिस अधीक्षक।
सभी पुलिस अधीक्षक।

पटना, दिनांक ....

विषय: आगामी धार्मिक त्योहारों/पर्वो में विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु कारवाई करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आगामी दुर्गा पूजा दिनांक [illegible] 24.10.12, ईदुल-जोहा (बकरीद) दिनांक 26.10.12, दीपावली दिनांक 13.11.12, छठ पूजा [illegible] दिनांक 19/20.11.2012 तथा मुहर्रम दिनांक 24.11.12 को मनाया जाने वाला है। [illegible] धार्मिक पर्वो/त्योहारों के अवसरों पर राज्य में विधि-व्यवस्था संबंधी गंभीर समस्या [illegible] प्रबल संभावना बनी रहती है।

[illegible] त्योहारों के अवसर पर विधि-व्यवस्था बनाये रखने के लिये निरोधात्मक कदम [illegible] आवश्यक है। इसके लिये सर्वप्रथम साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से संवेदनशील क्षेत्र को चिन्हित [illegible] चिन्हित क्षेत्रों में पूर्व में घटी साम्प्रदायिक विवाद की भी जानकारी प्राप्त की जाय।

[illegible] चिन्हित क्षेत्रों में अनुमंडल पदाधिकारी शिविर लगाकर ऐसे तत्वों की पहचान करेंगे [illegible] साम्प्रदायिक सद्भाव का माहौल बिगाड़ने का इतिहास हो। गोपनीय सूत्रों से यह भी पता [illegible] किसी समुदाय विशेष द्वारा पर्व त्योहारों के अवसर पर साम्प्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का [illegible] किया जा रहा हो। ऐसे अवसरों पर असामाजिक तत्व मौके का फायदा उठाकर अफवाह फैलाते [illegible] जिससे सामाजिक तनाव बढ़ता है। ऐसे तत्वों पर विशेष निगरानी रखनी होगी। अफवाहों पर विराम [illegible] हेतु प्रशासनिक तंत्र को सचेत रहने की आवश्यकता है। ऐसे अफवाहों के खण्डन हेतु तत्काल [illegible] कारवाई अपेक्षित है। ऐसे अफवाह फैलाने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दंड विधान की [illegible] (ए) एवं 505 के तहत कारवाई की जाय। ये धारायें संज्ञेय एवं अजमानतीय हैं।

4. अनुमंडल पदाधिकारी सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने तथा साम्प्रदायिक विद्वेष पैदा करने [illegible] तत्वों के विरूद्ध द०प्र०सं० के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। [illegible] पदाधिकारी तथा आरक्षी अधीक्षक मिलकर साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से अत्यंत संवेदनशील स्थलों [illegible] पहचान करेंगे तथा इन स्थलों पर आवश्यकतानुसार अनुमंडल पदाधिकारी कैंप कोर्ट करेंगे।

5. विधि-व्यवस्था बनाये रखने के लिए यह आवश्यक है कि सभी सम्प्रदाय के [illegible] व्यक्तियों से सतत सम्पर्क एवं वार्ता की जाय। महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ बैठक कर शांति

... कर विधि व्यवस्था बनाये रखने में इनको मदद ली जाय। असामाजिक तत्वों ... करने हेतु प्रशासन को मदद करने में भी इनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी।

6. यह आवश्यक है कि आसन्न धार्मिक त्योहारों/पर्वों के शांतिपूर्वक एवं सद्भावपूर्ण ... में सम्पन्न होने एवं इन अवसरों पर विधि-व्यवस्था कायम रखने हेतु सभी जिलों में ... धारकों द्वारा थानों में कैम्प कर आग्नेयास्त्रों एवं अनुज्ञप्ति की जाँच भी सुनिश्चित किया जाय। ... अनुज्ञप्तिधारी शस्त्र का वार्षिक सत्यापन हो चुका हो उनके शस्त्र का भी सत्यापन अभियान ... आवश्यकतानुसार पुनः की जाय। अपने जिले में आग्नेयास्त्रों का भौतिक सत्यापन संबंधी ... निर्धारित करते हुए व्यापक प्रचार-प्रसार के माध्यम से संबंधित सभी आग्नेयास्त्र ...धारियों एवं शस्त्र विक्रेताओं को सूचित किया जाय कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार यदि ... आग्नेयास्त्र/शस्त्र विक्रेता अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपने आग्नेयास्त्र एवं अनुज्ञप्ति की जाँच आसन्न ...ओं के पूर्व नहीं करायी जाती है तो उनकी अनुज्ञप्ति निलंबित/रद्द की जा सकती है।

7. आशा की जाती है कि सभी जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक अपने जिले में ... पर्व त्योहारों के अवसर पर विधि व्यवस्था बनाये रखने में जिले के साम्प्रदायिक घटनाओं की ...ओं को ध्यान में रखते हुए पूर्ण सावधानी बरतेंगे। खासकर उन क्षेत्रों पर जहाँ पूर्व में इन ... के अवसर पर साम्प्रदायिक तनाव हुआ हो या अन्य प्रकार की घटनायें घटित हुई हों, वहाँ ... सतर्कता बरतने की आवश्यता है। साम्प्रदायिक सद्भाव बनाये रखने के लिए प्रभावी कार्रवाई ... किसी भेदभाव एवं निष्पक्षता से की जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-
(आमिर सुबहानी)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक- 9027 पटना, दिनांक 8-10-2012

प्रतिलिपि:- पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी प्रक्षेत्रीय आरक्षी महानिरीक्षक एवं क्षेत्रीय उप-महानिरीक्षक को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

(प्रीता वर्मा)
सरकार के विशेष सचिव।

पत्र सं0- सी/सी0आई0पोल-3901/12 ......9028......

(33)
(15)

बिहार सरकार

गृह (विशेष) विभाग

प्रेषक,

आमिर सुबहानी
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी।
सभी पुलिस अधीक्षक।

पटना, दिनांक ......8-10-2012......

विषय :- बिहार पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा-66 एवं बिहार पुलिस हस्तक, 1978 के नियम-23 के अन्तर्गत नये धार्मिक जुलूसों की स्वीकृति देने तथा उनके लिये अनुज्ञप्ति निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अर्द्धसरकारी पत्र सं0-14013/1/91/आई0एस0 (यू0एस0डी0भी0), दिनांक 22.01.1991 द्वारा प्राप्त साम्प्रदायिकता निवारण संबंधी मार्गदर्शन आवश्यक कार्रवाई हेतु गृह (विशेष) विभागीय पत्र सं0-सी0/सी0आई0पोल0-105/90-275/सी0, दिनांक 20.02.1991 द्वारा सभी जिला पदाधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षकों के बीच परिचारित किया गया था।

2. भारत सरकार के उक्त पत्र की कंडिका-2 (II) में धार्मिक जुलूसों के संदर्भ में यह सुझाव दिया गया था कि परम्परागत जुलूसों के अलावा नये धार्मिक जुलूसों को संबंधित पदाधिकारियों द्वारा स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिये। फलस्वरूप क्षेत्रीय स्तर पर यह निष्कर्ष लिया गया कि नये धार्मिक जुलूसों की न तो स्वीकृति दी जानी है और न ही इसके लिए अनुज्ञप्ति देनी है। इस कारण राज्य में नये धार्मिक जुलूसों को क्षेत्रीय स्तर पर संबंधित पदाधिकारियों द्वारा स्वीकृति अथवा अनुज्ञप्ति नहीं दी जा रही है।

3. त्योहारों के अवसर पर राज्य में धार्मिक जुलूसों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है जिसमें अनुज्ञप्ति प्राप्त जुलूसों के साथ गैर-अनुज्ञप्ति वाले नये जुलूसों की संख्या भी शामिल है। इसके कारण कभी-कभी विधि व्यवस्था की गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है।

4. बिहार पुलिस अधिनियम की धारा-66 की कंडिका-66(2) तथा बिहार पुलिस हस्तक, 1978 के नियम-23 एवं इसकी अनुसूची-47, प्रपत्र-10 में जुलूसों को विनियमित करने एवं जुलूसों को अनुज्ञप्ति (लाईसेंस) दिये जाने का प्रावधान है।

5. उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में इस संबंध में सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा लोकहित में निर्णय लिया गया है कि पूर्व में निर्गत विभागीय पत्र सं0-

... सी०आई०पोल-105/90-275/सी, दिनांक 20.02.1991 को तात्कालिक प्रभाव से शिथिल ...
... बिहार पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा-66 एवं बिहार पुलिस हस्तक, 1978 के ... में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत क्षेत्रीय स्तर पर नये धार्मिक जुलूसों की स्वीकृति ... प्राप्त होने पर दी जाए तथा उनके लिये अनुज्ञप्ति निर्गत किया जाए।

अतः अनुरोध है कि राज्य सरकार के उपर्युक्त निर्णय के अनुपालन में आवश्यक ... करने की कृपा की जाय तथा निकट भविष्य में आनेवाले धार्मिक उत्सवों में इसे लागू ... सुनिश्चित किया जाए।

विश्वासभाजन

सरकार के प्रधान सचिव।

... पटना, दिनांक ....

प्रतिलिपि- पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/ महानिदेशक, विशेष शाखा, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी प्रक्षेत्रीय आरक्षी महानिरीक्षक एवं क्षेत्रीय उप-महानिरीक्षक को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

8.10.12

सरकार के प्रधान सचिव।

दुर्गापूजा महोत्सव, 2013 के अवसर पर आयोजन समिति के लिए चेक लिस्ट

आयोजन समिति का नाम **स्थान**

क्रमांक	कार्य	हाँ	नहीं
पंडाल			
1	आयोजन के लिए अनुमण्डल पदाधिकारी / अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी से अनुज्ञप्ति ली गयी अथवा नहीं ?		
2	यदि नहीं तो अनुज्ञप्ति हेतु पूजा पंडाल से विसर्जन का मार्ग एवं विसर्जन हेतु चिन्हित घाट के संबंध में आवेदन थानाध्यक्ष को दिया गया अथवा नहीं ?		
3	समिति के पदधारक एवं दस कार्यकर्त्ताओं एवं आयोजकों का नाम, पता एवं मोबाईल नं0 थानाध्यक्ष को दिया गया अथवा नहीं?		
4	आयोजन समिति के पदधारक एवं सभी कार्यकर्त्ताओं को आपकी ओर से पहचान पत्र निर्गत किया गया अथवा नहीं?		
5	आम दर्शनार्थियों की सुविधा हेतु महत्वपूर्ण सम्पर्क नम्बर (जिला प्रशासन / अनुमण्डल / प्रखण्ड / थानाध्यक्ष / अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी / पुलिस अधीक्षक / सिविल सर्जन / पी0एम0सी0एच0 / अग्निशमन / विद्युत विभाग के पदाधिकारियों का नम्बर) पूर्णरूप से दृष्टिगोचर स्थान पर प्रदर्शित किया गया अथवा नहीं?		
6	आपके द्वारा प्राप्त अनुज्ञप्ति की प्रति पण्डाल के दृष्टिगोचर स्थान पर प्रदर्शित की गयी अथवा नहीं?		
7	आपके द्वारा संबंधित कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग से पण्डाल की ठोसता से संबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त किया अथवा नहीं?		
8	पंडाल सड़क को छोड़कर लगाया गया एवं इससे यातायात बाधित नहीं हो रहा है। यह आपके द्वारा सुनिश्चित की गयी है अथवा नहीं?		
9	पंडाल में किसी सम्प्रदायक एवं व्यक्ति विशेष की संवेदना को ठेस पहुचाने वाला कार्टून / मोडल / पेंटिंग नहीं लगाया गया। यह आपके द्वारा सुनिश्चित की गयी अथवा नहीं?		
10	पंडाल की ऊचाई इस तरह रखी गयी अथवा नहीं ताकि उससे मूर्ति आसानी से निकाला जा सके।		
11	पूजा पंडाल के पास अगर गेट का निर्माण किया गया है तो उसकी चौड़ाई कम से कम 10 मीटर हो एवं ऊचाई इतनी हो मूर्ति आसानी से निकाला जा सके। यह सुनिश्चित किया गया अथवा नहीं?		

विद्युत व्यवस्था			
1	यह सुनिश्चित की गयी अथवा नहीं कि पूजा पंडाल के आस–पास बिजली की खुली तार नहीं गुजर रही हो?		
2	आपके द्वारा पेसू/विभाग के संबंधित कार्यपालक अभियंता से विधिवत विद्युत का अस्थाई कनेक्शन लिया गया अथवा नहीं?		
3	पंडाल में रोशनी की निर्वाध व्यवस्था हेतु ध्वनि रहित जेनेरेटर एवं इमरजेन्सी लाईट की व्यवस्था की गई अथवा नहीं?		
4	पूजा स्थल पर अच्छी गुणवत्ता के विद्युत तार का प्रयोग किया गया अथवा नहीं?		
5	विशेष परिस्थिति में अगर विद्युत तार के नीचे पंडाल बनाया जा रहा हो तो विद्युत तार से कम से कम 2 फीट के नीचे तक ही पंडाल बनाया गया है। यह सुनिश्चित की गयी अथवा नहीं?		
6	पूजा हेतु आने वाले दर्शनार्थियों की सुवधि के मद्देनजर अपने पंडाल के आस–पास पर्याप्त रौशनी हेतु हैलोजन आदि की व्यवस्था की गयी अथवा नहीं?		
7	आपके द्वारा पेसू/विद्युत विभाग के संबंधित कार्यपालक अभियंता से सुरक्षा प्रमाण–पत्र प्राप्त किया अथवा नहीं?		
ध्वनि व्यवस्था			
1	लाउडस्पीकर के प्रयोग के लिए संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी से अनुमति ली गयी अथवा नहीं?		
2	लाउडस्पीकर अधिनियम के तहत रात्रि 10 बजे से प्रातः के 6 बजे तक तक लाउडस्पीकर के उपयोग पर पाबंदी है। साथ ही रात्रि में लाउडस्पीकर के प्रयोग से आम नागरिक विशेषकर वृद्धजन एवं मरीजों को परेशानी हो सकती है। इस संबंध में आपके द्वारा कार्यकर्ताओं को उक्त अवधि में लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं करने की सख्त हिदायत दी गयी अथवा नहीं?		
3	पूजा स्थल पर अश्लील एवं भरकाऊ कैसेट अथवा किसी साम्प्रदाय एवं व्यक्ति विशेष की संवेदनाओं को ठेस पहुंचाने वाले कैसेट नहीं बजाने एवं मात्र भक्ति रस के कैसेट्स बजाने की सख्त हिदायत अपने कार्यकर्ताओं को दी गयी अथवा नहीं?		
अग्निशमन व्यवस्था			
1	आपके पूजा पंडाल तक फायर टेण्डर की पहुंच सुनिश्चित हो सके ऐसी व्यवस्था की गयी अथवा नहीं?		
2	पंडाल में कम से कम सिन्थेटिक कपड़े का इस्तेमाल किया गया है अथवा नहीं?		

3	अगर आपके पंडाल तक फायर टेण्डर नहीं पहुंच सकती है तो पूजा पंडाल में पोर्टेबुल अग्निशमन यंत्रों की व्यवस्था की गई अथवा नहीं?		
4	आपके द्वारा अग्निशमन पदाधिकारी से सम्पर्क कर पंडाल के व्यस्थापक/कार्यकर्त्ताओं को पोर्टेबुल अग्निशमन यंत्र चलाने का विधिवत प्रशिक्षण दिलाया गया अथवा नहीं?		
5	इसके अतिरिक्त बालू से भरे बाल्टी एवं बड़े ड्राम में पानी की व्यवस्था के साथ–साथ अग्नि की किसी भी आकस्मिकता से निपटने हेतु कार्य योजना तैयार की गयी अथवा नहीं?		
स्वच्छता			
1	नगर निगम/परिषद् द्वारा सफाई व्यवस्था के अतिरिक्त आपके द्वारा पंडाल की के आस–पास सफाई की व्यवस्था हेतु कार्य योजना तैयार किया गया अथवा नहीं?		
2	पंडाल में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए स्वच्छ पेय जल की व्यवस्था की गयी अथवा नहीं?		
भीड़ नियंत्रण			
1	दर्शनार्थियों के दर्शन हेतु महिला एवं पुरूष के लिए अलग अलग बेरिकेटिंग कराई गई है।		
2	भीड़ को नियंत्रित करने हेतु महिला एवं पुरूष वॉलेनटियर चिन्हित करते हुए उन्हें प्रशिक्षित किया गया अथवा नहीं?		
3	सभी वोलेन्टीयर विशेष रंग के परिधान में आपके द्वारा निर्गत परिचय पत्र के साथ रहेंगे, ताकि उन्हें आसानी से पहचाना जा सके। इस संबंध में आपके द्वारा सभी को निदेशित किया गया अथवा नहीं?		
4	भीड़ को नियंत्रित करने अथवा अन्य सूचनाओं के प्रेषण हेतु सुदृढ़ पब्लिक एड्रेस सिस्टम की व्यवस्था की गयी अथवा नहीं?		
5	भीड़ नियंत्रण एवं विधि–व्यवस्था के संधारण हेतु आपके द्वारा मचान (जबी जवूमत) बनाया गया अथवा नहीं?		
6	आपके द्वारा पंडाल में सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगवाया गया अथवा नहीं?		
7	अपने कार्यकर्ताओं को इस बात की हिदायत की गई अथवा नहीं कि आयोजन से जुड़े हुए कार्यकर्त्ता पूजा अवधि में शराब अथवा किसी तरह का नशा का सेवन नहीं करेंगे।		
विसर्जन			
1.	आपके द्वारा विर्सजन हेतु तिथि, समय एवं घाट के संबंध में स्पष्ट आवेदन थानाध्यक्ष को देकर अनुमति प्राप्त की गयी अथवा नहीं?		
2	निर्धारित तिथि एवं समय पर मूर्ति को पण्डाल से उठाने एवं घाट तक पहुंचाने की कार्य योजना तैयार की गयी अथवा नहीं?		
3	विसर्जन हेतु जिस वाहन का प्रयोग किया जा रहा हो, उसके वाहन		

	चालक के साथ–साथ अपने सभी कार्यकर्ताओं को यह स्पष्ट हिदायत दी गयी अथवा नहीं, कि वे विसर्जन जुलूस के क्रम में किसी भी परिस्थिति में शराब अथवा किसी अन्य नशा का सेवन नहीं करेंगे एवं पूर्ण अनुशासन में रहेंगे।		
4	सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने के संबंध में संबंधित थानाध्यक्ष को इसकी सूचना दी गयी अथवा नहीं?		
5	कार्यक्रम से किसी व्यक्ति विशेष अथवा सम्प्रदाय को ठेस नहीं पहुँचे, इसे सुनिश्चित करने हेतु सांस्कृतिक कार्यक्रम का स्वरूप का आंकलन किया गया अथवा नहीं?		

आयोजन समिति के अध्यक्ष,   आयोजन समिति के सचिव,

दुर्गापूजा महोत्सव, 2013 के अवसर पर अनुमण्डल पदाधिकारी/अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी के लिए चेक लिस्ट–८

आयोजन समिति का नाम स्थान

क्रमांक	कार्य	हाँ	नहीं
पंडाल			
1	आयोजक द्वारा आयोजन के लिए अनुमण्डल पदाधिकारी/ अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी से अनुज्ञप्ति ली गयी अथवा नहीं ?		
2	यदि नहीं तो आयोजक द्वारा पूजा पंडाल से विसर्जन का मार्ग एवं विसर्जन हेतु चिन्हित घाट के संबंध में आवेदन थानाध्यक्ष को दिया गया अथवा नहीं ?		
3	आयोजक द्वारा समिति के पदधारक एवं दस कार्यकर्त्ताओं एवं आयोजकों का नाम, पता एवं मोबाईल नं0 थानाध्यक्ष को दिया गया अथवा नहीं?		
4	आयोजन समिति के पदधारक एवं सभी कार्यकर्त्ताओं को आयोजन समिति की ओर से पहचान पत्र निर्गत किया गया अथवा नहीं?		
5	आम दर्शनार्थियों की सुविधा हेतु महत्वपूर्ण सम्पर्क नम्बर (जिला प्रशासन/अनुमण्डल/प्रखण्ड/थानाध्यक्ष/अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी /पुलिस अधीक्षक/सिविल सर्जन/पी0एम0सी0एच0/अग्निशमन/ विद्युत विभाग के पदाधिकारियों का नम्बर) पण्डाल में पूर्णरूप से दृष्टिगोचर स्थान पर प्रदर्शित किया गया अथवा नहीं?		
6	आयोजक द्वारा प्राप्त अनुज्ञप्ति पण्डाल के दृष्टिगोचर स्थान पर प्रदर्शित की गयी अथवा नहीं?		
7	आयोजक द्वारा संबंधित कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग से पण्डाल की ठोसता से संबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त किया अथवा नहीं?		
8	पंडाल सड़क को छोड़कर लगाया गया एवं इससे यातायात बाधित नहीं हो रहा है। आयोजक द्वारा यह सुनिश्चित की गयी है अथवा नहीं?		
9	पंडाल में किसी सम्प्रदायक एवं व्यक्ति विशेष की संवेदना को ठेस पहुचाने वाला कार्टून/मोडल/पेंटिंग नहीं लगाया गया। आयोजक द्वारा यह सुनिश्चित की गयी अथवा नहीं?		
10	पंडाल की ऊंचाई इस तरह रखी गयी अथवा नहीं ताकि उससे मूर्ति आसानी से निकाला जा सके।		
11	पूजा पंडाल के पास अगर गेट का निर्माण किया गया है तो उसकी चौड़ाई कम से कम 10 मीटर हो एवं ऊंचाई इतनी हो मूर्ति आसानी से निकाला जा सके। यह सुनिश्चित किया गया अथवा नहीं?		
विद्युत व्यवस्था			
1	यह सुनिश्चित की गयी अथवा नहीं कि पूजा पंडाल के आस–पास बिजली की खुली तार नहीं गुजर रही हो?		
2	आयोजक द्वारा पेसू/विभाग के संबंधित कार्यपालक अभियंता से विधिवत विद्युत का अस्थाई कनेक्शन लिया गया अथवा नहीं?		

3	पंडाल में रोशनी की निर्वाध व्यवस्था हेतु ध्वनि रहित जेनेरेटर एवं इमरजेन्सी लाईट की व्यवस्था की गई अथवा नहीं?		
4	पूजा स्थल पर अच्छी गुणवत्ता के विद्युत तार का प्रयोग किया गया अथवा नहीं?		
5	विशेष परिस्थिति में अगर विद्युत तार के नीचे पंडाल बनाया जा रहा हो तो विद्युत तार से कम से कम 2 फीट के नीचे तक ही पंडाल बनाया गया है। यह सुनिश्चित की गयी अथवा नहीं?		
6	पूजा हेतु आने वाले दर्शनार्थियों की सुवधि के मद्देनजर पंडाल के आस-पास पर्याप्त रौशनी हेतु हैलोजन आदि की व्यवस्था की गयी अथवा नहीं?		
7	आयोजक द्वारा पेसू/विद्युत विभाग के संबंधित कार्यपालक अभियंता से सुरक्षा प्रमाण-पत्र प्राप्त किया अथवा नहीं?		
ध्वनि व्यवस्था			
1	लाउडस्पीकर के प्रयोग के लिए संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी से अनुमति ली गयी अथवा नहीं?		
2	लाउडस्पीकर अधिनियम के तहत रात्रि 10 बजे से प्रातः के 6 बजे तक तक लाउडस्पीकर के उपयोग पर पाबंदी है। साथ ही रात्रि में लाउडस्पीकर के प्रयोग से आम नागरिक विशेषकर वृद्धजन एवं मरीजों को परेशानी हो सकती है। इस संबंध में आयोजक द्वारा कार्यकर्ताओं को उक्त अवधि में लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं करने की सख्त हिदायत दी गयी अथवा नहीं?		
3	पूजा स्थल पर अश्लील एवं भरकाऊ कैसेट अथवा किसी सम्प्रदाय एवं व्यक्ति विशेष की संवेदनाओं को ठेस पहुंचाने वाले कैसेट नहीं बजाने एवं मात्र भक्ति रस के कैसेट्स बजाने की सख्त हिदायत आयोजक द्वारा कार्यकर्ताओं को दी गयी अथवा नहीं?		
अग्निशमन व्यवस्था			
1	पूजा पंडाल तक फायर टेण्डर की पहुंच सुनिश्चित हो सके ऐसी व्यवस्था की गयी अथवा नहीं?		
2	पंडाल में कम से कम सिन्थेटिक कपड़े का इस्तेमाल किया गया है अथवा नहीं?		
3	अगर पंडाल तक फायर टेण्डर नहीं पहुंच सकती है तो पूजा पंडाल में पोर्टेबुल अग्निशमन यंत्रों की व्यवस्था की गई अथवा नहीं?		
4	आयोजक द्वारा अग्निशमन पदाधिकारी से सम्पर्क कर पंडाल के व्यस्थापक/कार्यकर्त्ताओं को पोर्टेबुल अग्निशमन यंत्र चलाने का विधिवत प्रशिक्षण दिलाया गया अथवा नहीं?		
5	इसके अतिरिक्त बालू से भरे बाल्टी एवं बड़े ड्राम में पानी की व्यवस्था के साथ-साथ अग्नि की किसी भी आकस्मिकता से निपटने हेतु कार्य योजना तैयार की गयी अथवा नहीं?		
स्वच्छता			
1	नगर निगम/परिषद् द्वारा सफाई व्यवस्था के अतिरिक्त पंडाल के आस-पास सफाई की व्यवस्था हेतु आयोजक द्वारा कार्य योजना तैयार किया गया अथवा नहीं?		

2	पंडाल में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए स्वच्छ पेय जल की व्यवस्था की गयी अथवा नहीं?		
भीड़ नियंत्रण			
1	दर्शनार्थियों के दर्शन हेतु महिला एवं पुरूष के लिए अलग अलग बेरिकेडिंग कराई गई है अथवा नहीं?		
2	भीड़ को नियंत्रित करने हेतु महिला एवं पुरूष वॉलेनटियर चिन्हित करते हुए उन्हें प्रशिक्षित किया गया अथवा नहीं?		
3	सभी वोलेन्टीयर विशेष रंग के परिधान में आपके द्वारा निर्गत परिचय पत्र के साथ रहेंगे, ताकि उन्हें आसानी से पहचाना जा सके। इस संबंध में आयोजक द्वारा सभी को निदेशित किया गया अथवा नहीं?		
4	भीड़ को नियंत्रित करने अथवा अन्य सूचनाओं के प्रेषण हेतु सुदृढ़ पब्लिक एड्रेस सिस्टम की व्यवस्था की गयी अथवा नहीं?		
5	आयोजक द्वारा अपने कार्यकर्ताओं को इस बात की हिदायत की गई अथवा नहीं कि आयोजन से जुड़े हुए कार्यकर्त्ता पूजा अवधि में शराब अथवा किसी तरह का नशा का सेवन नहीं करेंगे।		
विसर्जन			
1.	आयोजक द्वारा विर्सजन हेतु तिथि, समय एवं घाट के संबंध में स्पष्ट आवेदन थानाध्यक्ष को देकर अनुमति प्राप्त की गयी अथवा नहीं?		
2	निर्धारित तिथि एवं समय पर मूर्ति को पण्डाल से उठाने एवं घाट तक पहुंचाने की कार्य योजना तैयार की गयी अथवा नहीं?		
3	विसर्जन हेतु जिस वाहन का प्रयोग किया जा रहा हो, उसके वाहन चालक के साथ–साथ आयोजक द्वारा सभी कार्यकर्ताओं को यह स्पष्ट हिदायत दी गयी अथवा नहीं, कि वे विसर्जन जुलूस के क्रम में किसी भी परिस्थिति में शराब अथवा किसी अन्य नशा का सेवन नहीं करेंगे एवं पूर्ण अनुशासन में रहेंगे।		
4	सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने के संबंध में संबंधित थानाध्यक्ष को इसकी सूचना दी गयी अथवा नहीं?		
5	कार्यक्रम से किसी व्यक्ति विशेष अथवा सम्प्रदाय को ठेस नहीं पहुँचे, इसे सुनिश्चित करने हेतु सांस्कृतिक कार्यक्रम का स्वरूप का आंकलन किया गया अथवा नहीं?		

अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी

अनुमण्डल पदाधिकारी

दुर्गा पूजा महोत्सव, 2013 के अवसर पर अनुमण्डल पदाधिकारी एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी के लिए

चेक लिस्ट–II

क्रमांक	कार्य	हाँ	नहीं
1.	थाना स्तर पर सभी पंडालों की सूची उपलब्ध है अथवा नहीं?		
2	थाना स्तर पर सभी पंडालों के आयोजकों एवं समिति के अन्य पद धारकों का नाम पता एवं मोबाईल नं0 संधारित है अथवा नहीं?		
4	पेसू/विद्युत विभाग के पदाधिकारियों द्वारा अपने अपने क्षेत्र का गहन सर्वेक्षण कर पूजा पंडालों को त्रुटिरहित विद्युत कनेक्शन का प्रमाण पत्र दिया गया है अथवा नहीं?		
5	पेसू/विद्युत विभाग द्वारा जहाँ–जहाँ लूज वायरिंग है उसे टाईट करा दिया गया है एवं जहाँ–जहाँ बिजली तार जर्जर है उन्हें बदल दिया गया है अथवा नही?		
6	पेसू/विद्युत विभाग द्वारा सभी अकार्यरत हाई मास्ट लाईट वेपर लाईट एवं बिजली के बल्बों को चालू करा दिया गया है अथवा नहीं?		
7	बिना अनुमति के लाउडस्पीकर बजाने/निर्धारित समय सीमा के बाद बजाने अथवा अश्लील एवं भरकाऊ कैसेट बजाने पर संबंधित उपकरण जब्त करने का स्पष्ट निदेश थानाध्यक्ष को दिया गया है अथवा नहीं?		
8	पूजा अवधि में अबाध रूप से जलापूर्ति की अन्य व्यवस्था सहित सभी गैंग मैनों की तैनाती हेतु मुख्य अभियंता जल पर्षद्/संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी/कार्यपालक अभियांता पी0 एच0 ई0 डी0 से समन्वय कर सुनिश्चित किया गया है अथवा नहीं?		
9	नगर निगम/नगर परिषद एवं आयोजन समिति से समन्वय कर सफाई व्यवस्था हेतु विस्तृत कार्य योजना तैयार की गयी अथवा नहीं?		
10	सभी मेन हॉल विशेष कर जो प्रोसेशन के मार्ग में है की मरम्मती/ढक्कन आदि की व्यवस्था नगर निगम द्वारा सुनिश्चित की गई है अथवा नहीं?		
11	यातायात नियंत्रण के लिए आवश्यकतानुसार बैरिकेडिंग की व्यवस्था कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण विभाग द्वारा की गई है अथवा नहीं?		
12	यातायात की सुगमता के लिए वर्दी में सिविल डिफेंस के वोलेन्टीयर की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित की गई है अथवा नहीं?		
13	पूजा के अवसर पर यातायात के नियंत्रण हेतु विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई है अथवा नहीं?		
14	कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण विभाग को सभी व्यस्त क्षेत्रों एवं विसर्जन मार्ग में दूगा पूजा के पूर्व सड़क मरम्मती कराये जाने हेतु सुची भेजी गई एवं तद्नुसार कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण विभाग द्वारा पूजा के पूर्व आवश्यकतानुसार सड़क की मरम्मती कराई गई है अथवा नहीं?		

15	अग्निशमन पदाधिकारी से समन्वय कर फायर ब्रिगेड यूनिट की तैनाती हेतु स्ट्रैटेजिक लोकेशन तय किया गया अथवा नहीं?		
16	अनाधिकृत शराब की बिक्री की रोक थाम एवं आयोजक एवं आम जनता से अवैध ठिकानों के संबंध में गुप्त सूचना प्राप्त करने एवं उनके आलोक में त्वरित कार्रवाई के लिए तहत सतत् छापेमारी की जा रही है अथवा नहीं?		
17	अवैध शराब के विरूद्ध छापेमारी के संबंध में थाना स्तर से दैनिक प्रतिवेदन प्राप्त किया जा रहा है अथवा नहीं?		
18	विसर्जन स्थल पर पर्याप्त रोशनी, नाव, गोताखोर एवं डूबने से बचाने के लिए सभी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है अथवा नहीं?		
19	नाव की क्षमता का आकलन के उपरान्त ही प्रत्येक नाव में मूर्ति के साथ व्यक्तियों को बैठने की अनुमति दी जाने की व्यवस्था की गयी है अथवा नहीं?		
20	सभी मूर्ति एवं पूजा पंडालों का निर्धारित पथ एवं घाट के अनुरूप क्रमानुसार ऐसी सूची तैयार की गयी है अथवा नहीं ताकि दो जुलूसों के बीच फासला रहे एवं आपसी टकराव की स्थिति न आये।		
21	द0प्र0सं0 की धारा 144 के अन्तर्गत जूलूस में हाथी एवं ऊँट नहीं सम्मिलित करने एवं पूजा स्थल/सड़क पर घातक हथियार लेकर नहीं चलने संबंधी निषेधाज्ञा जारी किया गया है अथवा नहीं?		
22	विसर्जन स्थल पर पर्याप्त रौशनी हेतु जेनेरेटर की समुचित व्यवस्था की गई है अथवा नहीं?		
23	दण्डाधिकारी के पर्यवेक्षण में जूलूस की विडियोंग्राफी की व्यवस्था की गई है अथवा नहीं?		
24	दूर्गा पूजा के अवसर पर चंदा वसूली करने वाले के विरूद्ध सतत् कार्रवाई की जा रही है अथवा नहीं?		
25	थाना स्तर पर कैम्प कर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 107, 110, 113 एवं 116 के तहत निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है अथवा नहीं?		
26	क्षेत्र से आवश्यक आसूचना का संग्रहण किया जा रहा है अथवा नहीं?		
27	संचार योजना (ब्वउउनदपबंजपवद च्संद) तैयार की गई है अथवा नहीं? (उक्त संचार योजना में जिला स्तर से प्रखण्ड स्तर तक के सभी संबंधित पदाधिकारी, अग्निशमन, विद्युत विभाग, स्वास्थ्य, सभी पूजा समिति के सदस्य सहित स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं शांति समिति के सदस्यों का नाम एवं मोबाईल नं0 का संग्रहण)		
28	संचार योजना की एक प्रति आयोजकों एवं संबंधित पदाधिकारियों को भी उपलब्ध कराई गई है अथवा नहीं?		
29	विधि व्यवस्था के संधारण हेतु आवश्यकतानुसार मचान एवं उस पर विडियोग्राफर की व्यवस्था की गई है अथवा नहीं?		
30	सिविल सर्जन से समन्वय कर आवश्यकतानुसार आवयश्क दवाओं चिकित्सा दल के साथ एम्बुलेन्स की प्रतिनियुक्ति की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है अथवा नहीं?		

31	जिला संयुक्तादेश के अनुरूप ससमय दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति के अनुरूप स्थल पर उनकी उपलब्धता की नियमित जाँच हेतु कोई कार्य योजना है अथवा नहीं?		
32	विगत वर्षों में धार्मिक दंगा फैलाने के विरूद्ध दर्ज प्राथमिकी में चिन्हित लोगों के संबंध में आसूचना प्राप्त करते हुए निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है अथवा नहीं?		
33	पूर्व से संवेदनशील स्थलों एवं संदिग्ध व्यक्तियों के विरूद्ध लगातार छापेमारी की जा रही है अथवा नहीं?		
34	विगत वर्षो के समारोहों के मद्देनजर सभी विवादित स्थल का भौतिक निरीक्षण के उपरान्त सुरक्षात्मक कदम एवं अपेक्षित सतर्कता मूलक कार्रवाई की जा रही है अथवा नहीं?		

अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी

अनुमण्डल पदाधिकारी